भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2863
05.08.2026 को उत्तर देने के लिए

एमपीलैड्स निगरानी केंद्र

2863. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेलः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) मार्गदर्शिका, 2023 के पैरा 9.5 के अनुसार प्रत्येक नोडल जिले में 'एमपीलैड्स सुविधा एवं निगरानी केंद्र' स्थापित किया जाना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में स्थापित ऐसे केंद्रों की संख्या और स्थापित किए जाने वाले शेष केंद्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव (डीएनएच और डीडी) में ऐसा केंद्र स्थापित करने के माननीय संसद सदस्य के प्रस्ताव पर संबंधित जिला प्रशासन और राज्य नोडल प्राधिकारी को निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या एमपीलैड्स मार्गदर्शिका के पैरा 4.5.9 के अनुसार संसद सदस्य की उपस्थिति में नियमित रूप से मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो ऐसे जिलों का ब्यौरा क्या है जहां उक्त प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या सरकार का देशभर में एमपीलैड्स कार्यों के कार्यान्वयन में निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी जिलों में 'डिजिटल एमपीलैड्स सुविधा एवं निगरानी केंद्र, स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) एमपीलैड्स दिशानिर्देश 2023 के पैरा 9.5.1 के अनुसार, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एमपीलैड्स से संबंधित सभी सूचना एक ही स्थान पर प्रदान करने के लिए नोडल जिलों में एक एमपीलैड्स सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड और महाराष्ट्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अलावा), 448 नोडल

जिलों में से 374 ने एमपीलैड्स सुविधा और निगरानी केंद्र स्थापित किया है अथवा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्था में नामित किया जाता है, जैसा कि एमपीलैड्स दिशानिर्देशों, 2023 के पैरा 9.5 में परिकल्पित है।

(ख) मंत्रालय ने दिनांक 13.07.2026 के पत्र के तहत दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (डीएनएच एवं डीडी) के राज्य नोडल प्राधिकारी से एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 के पैराग्राफ 9.5 और 4.5.9 में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार, दादरा और नगर हवेली जिले के लिए कलेक्ट्रेट, दादरा और नगर हवेली में एक एमपीलैड्स सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। एमपीलैड्स योजना के अंतर्गत सभी कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और माननीय संसद सदस्य से संबंधित मामलों में सुविधा और समन्वय प्रदान करने के लिए एक निगरानी अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। तथापि, दमन और दीव जिले के लिए कोई एमपीलैड्स सुविधा केंद्र स्थापित नहीं किया गया है।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एमपीलैड्स योजना के अंतर्गत जिला प्राधिकरणों द्वारा माननीय सांसदों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, जहां लागू हो, एमपीलैड्स कार्यों की प्रगति की समीक्षा डीआईएसएचए बैठकों तथा अन्य आवधिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से भी की जाती है। यद्यपि एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 4.5.9 के अधीन परिकल्पित मासिक समीक्षा बैठकें प्रशासनिक और समय संबंधी बाधाओं के कारण कुछ जिलों में नियमित रूप से आयोजित नहीं किए जाने की स्थिति के होने पर भी एमपीलैड्स कार्यों की प्रगति की निगरानी इन वैकल्पिक समीक्षा तंत्रों के माध्यम से जारी रहेगी। तथापि, वर्तमान में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव जिलों में ऐसी समीक्षा बैठकों का आयोजन करता है।

मंत्रालय एमपीलैड्स ईसाक्षी पोर्टल के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन सहित कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों का आकलन करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के साथ मासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन करता है।

(घ) समुदाय की विकसित हुई विकास आवश्यकताओं के अनुरूप एमपीलैड्स दिशानिर्देशों को समायोजित करने और वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक योजना को जारी रखने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित उपायों को शामिल करने के लिए, मंत्रालय विद्यमान एमपीलैड्स दिशानिर्देशों का संशोधन कर रहा है। संशोधित दिशानिर्देशों में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त व्यवहार्य सुझावों को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसमें एमपीलैड्स सुविधा केंद्र के रूप में डिजिटल कियोस्क की स्थापना भी शामिल है।
